फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी— रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र— अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 85/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2019	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी किशनाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी बासी आथूणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बासी आथूणी की जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 में नया खाता खंख्या 116 पुराना खाता संख्या 99 में वादी का खेत खसरा नं. 192 रकबा 22.1161 हैक्टेयर में से मेरे द्वारा 0.2529 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई थी समर्पित भूमि का नामान्तकरण संख्या 481 दिनांक 31.05. 2019 को स्वीकृत हो चुका है नामान्तकरण दर्ज करते समय समर्पित भूमि की तरमीम नहीं दर्शाई गई है। रास्ते के लिये समर्पित भूमि खेत के मध्य से होकर रास्ते के लिये समर्पित की गई है जिससे खेत में रास्ते सहित तीन नये नम्बर दिये जाने थे लेकिन रास्ते का एक नम्बर व दोनो साईड के खेतों को एक ही नम्बर दिया गया है जिससे जहा रास्ता है उसकी तरमीम सम्भव नही है। अतः खेत में अगुणी तरफ 10.9316 हैक्टेयर व आथूणी तरफ 10.9316 हैक्टेयर कृषि भूमि को अलग—अलग नम्बर दिये जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का मुन्दड़ा भु अभिलेख नि. कानूता व तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 में ग्राम बासी आथुणी के ख. नं. 192 के मध्य से होकर रास्ते हेतु खातेदार किशनाराम ने 0.2529 हैक्टेयर भूमि समर्पित की गई। समर्पित भूमि का नामान्तकरण सं. 481 दर्ज होकर स्वीकृत हो चुका है। समर्पित भूमि खेत के मध्य में स्थित है नामान्तकरण दर्ज करतें समय तीन बट्टा नम्बर ही दिये जाने थे क्योकि रास्ते के दोनों ओर शेंष भूमि बची हुई थी लेकिन सहवन से दो बट्टा नम्बर ही दिये गये है अतः उक्त खसरा के दो बट्टा नम्बर के स्थान पर तीन बट्टा किया जान उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बासी आथुणी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 में नया खाता खंख्या 116 पुराना खाता संख्या 99 के ख. नं. 192 में दो बट्टा नम्बर के स्थान पर तीन बट्टा नम्बर किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी के अन्तिम खसरा नं. के पश्चात नया खसरा नं. दिए जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/10/19 उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ	2019 00177 Rem